

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
दस्तावेज V/S - दस्तावेज

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
२-१२-१५	<p>पत्तापत्ती पेशा दुर्घ/अपीलान्त ने जसिद करिना एक जापना पत्रक प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया है कि एक करीबत में आयासी तमकादेश व गाँव के मौजिद लोगों के कहे पर सिद्ध अपीलान्त प्रस्तुत है इसलिए रेलवे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहता है। नकार अपीलान्त प्रस्तुत चाहता है। नकार उक्त अपीलान्त को खारिज कर दिया जावे।</p> <p>नकार पत्तापत्ती का अवलोकन किया जाय। अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्तापत्ती के फल शुकाटोकर नकार सिद्ध की जाती। नकार अपीलान्त खारिज नकार की जावे।</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>